

सन्दीप

1.6.2025

Prof

19.12.2025:- पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी वकील का मूल वादपत्र विद्धा हो चुका है। मूल वाद पत्र विद्धा के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए अस्थायी निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील आपसी दाखिल दफतर हो। पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

Prof

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़